न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 49/2021 (2021/87)

अपीलार्थीपक्ष

सुमेरसिंह पुत्र स्व0 अर्जुनसिंह, जाति राजपूत, निवासी कड़वड़, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. स्व0 श्रीमती मीना सांखला पत्नी देवीचन्द के कायम मुकाम
   1/1. देवीचन्द सांखला पति स्व0 मीना सांखला
   1/2. राधेश्याम पुत्र देवीचन्द सांखला
   1/3. हेमलता पुत्री देवीचन्द सांखला
   1/4. नन्दकिशोर पुत्र देवीचन्द सांखला
   सभी जातियान माली, निवासीगण चांदपोल के बाहर, विद्याशाला, जोधपुर हाल निवासीगण फतेहबाग मण्डोर, जिला जोधपुर।
2. परबतलाल चौहान पुत्र भैरूलाल चौहान, जाति दर्जी, निवासी मकान संख्या 4–क–1 प्रताप नगर, जोधपुर।
3. तहसीलदार (भू0अ0) जोधपुर।
4. छोटूसिंह पुत्र स्व0 दलपतसिंह
5. सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 दलपतसिंह
6. सूरज कंवर पत्नी स्व0 अशोकसिंह
7. तेजसिंह पुत्र स्व0 दलपतसिंह
8. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 डूंगरसिंह
9. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 डूंगरसिंह

जातियान राजपूत, निवासीगण कड़वड़, तहसील व जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 1983 ग्राम कड़वड़ जो दिनांक 26.10.2021 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

———

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चम्पावत (अपीलार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह सोंलकी (प्रत्यर्थी संख्या 1/1 से 1/4 तक)।
3. अधिवक्ता श्री जेठाराम सैन (प्रत्यर्थी संख्या 04 से 09 तक)।
4. प्रत्यर्थी संख्या 02 नोटिस तामील बाद अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:45 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :— दिनांक :— 05.07.2023

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक/कोर्ट/डीएम/21/2072 दिनांक 22.11.2021 की अनुपालना में यह अपील सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई। अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 1983 ग्राम कड़वड़ जो दिनांक 26.10.2021 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेश की है। अपील पंजीबद्ध कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह सोंलकी ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी संख्या 04 से 09 की ओर से अधिवक्ता श्री जेठाराम सैन ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी संख्या 02 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 26.06.2023 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चम्पावत ने बहस में बतलाया कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन अपील में परबतसिंह पुत्र दलपतसिंह पक्षकार है जिसका नोटिस उपखण्ड अधिकारी में विचाराधीन दावे में भी तामिल हो चुका है। नोटिस तामिल होने के बावजूद भी उसने खसरा नं0 216 मौजा कड़वड में से 3 बीघा भूमि का बेचान रेस्पो0 संख्या 2 परबतलाल चौहान पुत्र भैरूलाल के पक्ष में निष्पादित कर दिया तथा उसके आधार पर ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण संख्या 1584 स्वीकृत कर दिया गया। उसके पश्चात् रेस्पो0 संख्या 02 परबतलाल चौहान ने मीना सांखला पत्नी देवीचन्द को खसरा नं0 216 रकबा 03 बीघा मौजा कड़वड की भूमि वाद व अपील विचाराधीन रहते हुए दिनांक 10.11.2020 को बेचान कर दी उक्त बेचान के आधार पर मीना सांखला के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1983 तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 26.10.2021 को स्वीकृत कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि परबतसिंह पुत्र दलपत सिंह के द्वारा रजिस्टर्ड बेचान रेस्पो0 संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित किया गया तथा उक्त रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर ग्राम पंचायत कडवड़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1584 दिनांक 20.05.2013 को स्वीकृत किया गया उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के यहां में विचाराधीन है। उक्त अपील न्यायालय में सन् 2014 में पेश की गई जो आज भी विचाराधीन है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:45 IST
Reason: SelfAttested

अपील के विचाराधीन रहते हुए भी रेस्पो0 संख्या 02 परबत लाल चौहान ने उक्त विवादित भूमि का बेचान रेस्पो0 संख्या 1/1 की पत्नी श्रीमती मीना सांखला को कर दिया। उक्त बेचान के आधार पर तहसीलदार जोधपुर ने मीना सांखला के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जबकि कानून का तय सुदा सिद्धान्त है कि विवादित भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय में अपील विचाराधीन है तो बेचान के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करना चाहिए। माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक निर्णय सन् 2009(2) आरआरटी पेज 1225 में स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि विवादित भूमि के संबंध में अधिकारों का निर्धारण करने के लिए जब तक न्यायालय में दावा या अपील विचाराधीन है तब तक विवादित भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करना चाहिए जबकि उक्त विवादित भूमि के संबंध में दावा व अपील विचाराधीन होते हुए भी तहसीलदार जोधपुर द्वारा कानूनी तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जो कानूनी बिन्दु के आधार पर भी अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने योग्य है।

अपीलार्थी ने बहस में यह भी बतलाया कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने न्यायिक निर्णय आर0 आर0 डी0 1989 पेज नं0 224 डीबी में स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि दावा विचाराधीन होते हुए विवादित आराजी का बेचान किया गया है तो उक्त बेचान सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के लैस पेन्डिग के सिद्धान्त से बाधित होगा तथा ऐसे बेचान की कानूनन कोई अहमियत नहीं होगी तथा खरीददार का उक्त बेचान के आधार पर विवादित आराजी पर कोई हक व अधिकार नहीं माना जाएगा। इस कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण कानूनी बिन्दु के आधार पर भी निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी ने बहस में आगे बतलाया कि विवादित भूमि के स्वत्व का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णित खातेदारी घोषणा के दावे से होगा क्योंकि म्यूटेशन एक सरसरी कार्यवाही है जिसके आधार पर हक व अधिकारों का निर्धारण कानूनन नहीं किया जा सकता है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने न्यायिक निर्णय 2001 आर0 आर0 डी0 पेज नं0 242 में अभिनिर्धारित किया है कि नामान्तरकरण प्रक्रिया स्थगित रखी जावे तथा दावे के निर्णय के अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावे। बहस के अन्त में अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्यर्थीपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने बहस में बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा जिस अपीलाधीन नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है उक्त नामान्तरकरण रजिस्टर्ड बेचाननामें के आधार पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अपीलार्थी ने स्वयं अपनी बहस में बतलाया है कि नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है तथा नामान्तरकरण के द्वारा स्वत्व तय नहीं होते है।

प्रत्यर्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि अपीलार्थी ने अपनी बहस में यह भी बतलाया कि उसके द्वारा अपने स्वत्व के निर्धारण के लिए एक वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है अगर अपीलार्थी के स्वत्व प्रभावित हो रहे है तो वह स्वत्व जरिये वाद के माध्यम से तय करवा लेगा। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपीलार्थी ने उक्त अपील नामान्तरकरण संख्या 1983 जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा रजिस्टर्ड बेचाननामें के आधार पर स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की है। यह कथन मानने योग्य है कि मृत्तक मीना सांखला वास्तविक खरीददार थी तथा उसके आधार पर ही तहसीलदार ने अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया तथा रजिस्टर्ड बेचाननामा को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः रजिस्टर्ड बेचाननामा से अपीलार्थी व्यथित है तो उन्हे सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोही करनी चाहिए। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाए जाने से अपील निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:45 IST
Reason: SelfAttested

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।